अनुलग्नक बी

शस्त्र व्यापार संधि के

नए देशों के लिए 'वेलकम पैक'

ANNEX B

'WELCOME PACK' FOR NEW STATES PARTIES

TO THE ARMS TRADE TREATY

अनुलग्नक बी
शस्त्र व्यापार संधि के नए देशों के लिए 'वेलकम पैक'

1. परिचय **3**

1.1 यह 'वेलकम पैक' किसके लिए तैयार किया गया है? 3

1.2 एटीटी क्या है? 3

1.3 स्वीकरण एवं परिपालन 3

1.4 एटीटी में कितने देश शामिल हुए हैं? 3

1.5 एटीटी का कार्यक्षेत्र क्या है? 4

1.5.1 किस प्रकार के हथियारों को एटीटी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है? 4

1.5.2 एटीटी के दायरे में किस प्रकार के हस्तांतरण किए जाते हैं? 4

2. एटीटी प्रक्रिया **4**

2.1 सदस्य देशों के सम्मेलन 4

2.1.1 सम्मेकलन कब होते हैं? 4

2.1.2 सम्मेलन क्या करता है? 5

2.1.3 सम्मेलन में कौन भाग लेता है? 5

2.2 तैयारी की प्रक्रिया 5

2.2.1 अनौपचारिक तैयारी बैठकें 5

2.2.2. विशेष बैठकें 6

2.3 एटीटी संस्थाएँ 6

2.3.1 सम्मेलन के अधिकारी 6

2.3.1.1 अध्यक्ष 6

2.3.1.2 उपाध्यक्ष 6

2.3.1.3 सम्मेलन का सचिव 6

2.3.2 सहायक संस्थाचएँ 7

2.3.2.1 प्रबंधन समिति 7

2.3.2.2 कार्य समूह 7

2.3.2.3 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड (वीटीएफ) चयन समिति 8

3. एटीटी के दायित्व **8**

3.1 संधि के अंतर्गत शस्त्र हस्तांतरण नियंत्रण दायित्व क्या हैं? 8

3.1.1 राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली 8

3.1.2 हस्तांरतरण का विनियमन 8

3.1.2.1 कुछ हस्तांतरणों का निषेध 9

3.1.2.2 निर्यात 9

3.1.2.3 आयात 10

3.1.2.4 पारगमन और ट्रांस-शिपमेंट 10

3.1.2.5 दलाली 10
3.1.2.6 पथांतरण 11
4. संधि के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्व क्या हैं? 11
4.1 प्रारंभिक रिपोर्ट 11
4.2 वार्षिक रिपोर्ट 11
4.3 पथांतरण की रिपोर्ट 12
5. संधि के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध है? 12
5.1 सदस्य देश 12
5.2 हस्ताक्षरकर्ता देश और पर्यवेक्षक देश 12
6. एटीटी कार्यान्वयन के लिए सहायता और समर्थन 12
6.1 एटीटी सचिवालय 12
6.1.1 एटीटी सचिवालय की भूमिका क्या है? 12
6.1.2 एटीटी सचिवालय से कैसे संपर्क करें 13
6.2 कैसी वित्तीय सहायता उपलब्ध है? 13
6.2.1 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड 13
6.2.2 स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम 13
6.2.3 यूएनएससीएआर 14
6.2.4 ईयू एटीटी पहुँच परियोजना 14
6.2.5 द्वि-पक्षीय सहायता 14
6.3 क्या तकनीकी सहायता उपलब्ध है? 14

1. परिचय

1.1 यह 'वेलकम पैक' किसके लिए तैयार किया गया है?

संधि सार्वभौमीकरण के लिए गठित कार्यदल (वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रीटी यूनिवर्सलाइजेशन) द्वारा वेलकम पैक को विकसित किया गया था। इस पैक को शस्त्र व्यापार संधि (आर्म्सग ट्रेड ट्रीटी) की प्रक्रिया बुनियादी जानकारी प्रदान करने और, जो देश इसके नए सदस्य बने हैं, उनको दायित्वों का बोध प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही जो इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उनके लिए तैयार किया गया है।

1.2 एटीटी क्या है?

शस्त्र व्यापार संधि (एटीटी) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह हथियारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करके पारम्परिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यह संधि पारंपरिक हथियारों के अवैध व्यापार और पथान्तरण (डायवर्जन) पर रोक लगाने और उनका उन्मूउलन करने का प्रयास करती है।

इस संधि का उद्देश्य, जैसा कि इसके अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है:

- पारंपरिक आयुध के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियन्त्रित करने अथवा उसके नियंत्रण को उन्नत करने के लिए यथासंभव उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय समान मानकों की स्थापना करना;
- पारंपरिक आयुध के अवैध व्यापार को रोकना, उसका उन्मूलन करना तखा उसके विपथन को रोकना;

इसका उद्देश्य है:

- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना;
- मानवीय पीड़ा को कम करना;
- सदस्य देशों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए, पारम्परिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सदस्ये देशों द्वारा सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदार कार्रवाई को बढ़ावा देना;

"यह वैश्विक शस्त्र व्यापार में ज़िम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के हमारे सामूहिक प्रयासों में एक नये अध्याय का प्रतीक है।" - बान की मून

एटीटी मानवीय पीड़ा कम करते हुए और सहयोग, पारदर्शिता व जिम्मेदार कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए, अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देती है।

1.3 स्वीकरण एवं परिपालन

इस संधि को 2 अप्रैल 2013 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी 24 दिसंबर 2014 को इस संधि को कर दिया गया था। इसके साथ ही यह संधि पारम्परिक हथियारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाली पहली वैश्विक, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनी।

1.4 एटीटी में कितने देश शामिल हुए हैं?

इस समय, 100 से अधिक देश संधि को स्वीकार करने वाले सदस्यं देश बन गए हैं। अन्य देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

एक क्षेत्रीय अवलोकन सहित एटीटी में भागीदारी की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी, एटीटी की निम्न लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883

1.5 एटीटी का कार्यक्षेत्र क्या है?

एटीटी कतिपय श्रेणियों के हथियारों के कुछ विशेष प्रकारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है।

1.5.1 किस प्रकार के हथियारों को एटीटी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है?

एटीटी पारम्परिक हथियारों की निम्न श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है (अनुच्छेद 2 (1 देखें)):

1) युद्धक टैंक;

2) बख्तरबंद लड़ाकू वाहन;

3) बड़े-कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम;

4) लड़ाकू विमान;

5) आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर;

6) युद्धपोत;

7) मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर; तथा

8) छोटे शस्त्र और हल्के हथियार।

एटीटी उपर्युक्त सूची में निबद्ध पारंपरिक हथियारों द्वारा दागे गए, लॉन्च किए गए या वितरित किए गए गोला-बारूद/युद्ध सामग्री के निर्यात पर भी लागू होती है। इसके अलावा, जहाँ निर्यात उपर्युक्त सूची में निबद्ध पारंपरिक हथियारों के पुर्जों और हिस्सों को जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वहाँ हथियारों के भागों और घटकों पर पर भी यह संधि लागू होती है (अनुच्छेद 3 और 4 देखें)।

1.5.2 एटीटी के दायरे में किस प्रकार के हस्तांतरण किए जाते हैं?

एटीटी निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन को नियंत्रित करती है (अनुच्छेद 2(2) देखें):

- निर्यात;
- आयात;
- पारगमन (ट्रांजिट) और ट्रांस-शिपमेंट; तथा
- दलाली करना।

यह संधि किसी सदस्य देश द्वारा अथवा उस सदस्य देश की ओर से किए जाने वाले इसके उपयोगार्थ किए जाने वाले पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर या उनके उपयोग के मामले में सदस्य देशों द्वारा, या लागू नहीं होती है, बशर्ते कि पारम्परिक हथियार उस सदस्य् देश के स्वामित्व में रहें (अनुच्छेद 2 (3 देखें))।

इसके अलावा, एटीटी 'आत्मरक्षा एवं शांति अभियानों के लिए किए जाने वाले पारम्परिक हथियारों के अधिग्रहण से संबंधित देशों के वैध हितों' को मान्यता देती है(पैराग्राफ 7, एटीटी के सिद्धांत)।

2. एटीटी प्रक्रिया

2.1 सदस्य देशों के सम्मेलन

2.1.2 सम्मेलन कब होते हैं?

संधि के अनुच्छेद 17 (1) के अनुसार, सदस्यो देशों का प्रत्येक सम्मेलन यह निर्णय कर सकता है कि अगले सम्मेलन का आयोजन कब होगा। व्यावहारिक रूप से, इसकी कार्यविधि के नियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि इसकी बैठक '*वर्ष में एक बार*' होगी, जब तक कि सम्मेलन द्वारा कोई दूसरा निर्णय नहीं ले लिया जाता है (कार्यविधि के नियम का नियम 11 देखें)।

सदस्य देशों के एटीटी सम्मेलन निम्नलिखित रूप से आयोजित किए गए हैं:

- सदस्य देशों का पहला एटीटी सम्मेलन (CSP1): कानकुन, मैक्सिको, 24-27 अगस्त 2015
- सदस्य देशों का दूसरा एटीटी सम्मेलन (CSP2): जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 22-26 अगस्त 2016
- सदस्य देशों का तीसरा एटीटी सम्मेलन (CSP3): जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 11-15 सितंबर 2017
- सदस्य देशों का चौथा एटीटी सम्मेलन (CSP4): टोक्यो, जापान, 20-24 अगस्त 2018
- सदस्य देशों का पांचवां एटीटी सम्मेलन (CSP5): जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 26-30 अगस्त 2019

2.1.2 सम्मेलन क्या करता है?

सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेलन की भूमिका निम्नलिखित है:

1) पारम्पंरिक हथियारों के क्षेत्र में विकास सहित इस संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;
2) इस संधि के कार्यान्वयन और संचालन के संबंध में वस्तुतः सिफ़ारिशों पर विचार करना और उनको अपनाना, विशेष रूप से इसकी सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना;
3) अनुच्छेद 20 के अनुसार इस संधि में होने वाले संशोधनों पर विचार करना;
4) इस संधि की व्याख्या से पैदा होने वाले मुद्दों पर विचार करना;
5) सचिवालय के कार्यों तथा बजट पर विचार और निर्णय करना;
6) इस संधि के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहायक संस्था ओं की स्थापना पर विचार करना; तथा
7) इस संधि के अनुरूप कोई अन्य कार्य करना (देखें अनुच्छेद 1 कार्य (4)।

2.1.3 सम्मेसलन में कौन भाग लेता है?

कार्यविधि के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सम्मेलन की पूर्ण (प्लेनरी) बैठकें तब तक सार्वजनिक रहेंगी जब तक कि सम्मेलन किसी सदस्य देश के अनुरोध पर कोई अन्य निर्णय नहीं ले लेता (कार्यविधि के नियम का नियम 13 देखें)। तदनुसार, सदस्य देश जिनमें हस्ताक्षर करने वाले देश, पर्यवेक्षक देश (ऐसे राज्य जो न तो इसके पक्ष हैं और न ही इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता), साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, इसकी विशिष्ट एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन, नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी), जिनमें ग़ैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं, और उद्योग, में सब सदस्यो देशों के सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं (कार्यविधि के नियम के नियम 1-5 देखें), बर्शते कि इससे संबंधित कोई अन्य निर्णय नहीं ले लिया।

हालाँकि, सम्मेलन में केवल सदस्य देश ही '*पूर्ण*' प्रतिभागी हो सकते हैं (जिसका अर्थ है कि ज़रूरत पड़ने पर सदस्य देश को निर्णय लेने और आवश्यक होने पर निर्णयों पर मतदान करने का अधिकार है)। पुनरपि हस्ताक्षरकर्ता राज्य सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे निर्णय लेने की क्रिया में भाग नहीं ले सकते। पर्यवेक्षक देश और संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, नागरिक समाज और उद्योग के प्रतिनिधि पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, पूर्ण बैठकों में बयान दे सकते हैं, आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं और सम्मेलन को अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.2 तैयारी की प्रक्रिया

2.2.1 अनौपचारिक तैयारी बैठकें

सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेलन के बीच अंतर-सत्रीय अवधि के दौरान, प्रत्येक आगामी सम्मेलन की तैयारी के लिए जिनेवा में एटीटी सचिवालय में अनौपचारिक तैयारी बैठकें आयोजित की जाती हैं। तैयारी बैठकों की संख्या और उनकी अवधि निर्धारित/निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन आम तौर पर, प्रत्येक दिन सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेलन से पहले एक दिन चलने वाली दो अनौपचारिक तैयारी बैठकें

आयोजित की जाती हैं। तैयारी बैठकें आम तौर पर एटीटी कार्य समूहों की बैठकों के समय पर होती हैं (खंड 2.3.2.2 देखें)। तैयारी बैठकें सार्वजनिक होती हैं।

2.2.2. विशेष बैठकें

अनुच्छेद 17 (5) इस बात पर विमर्श करता है कि सम्मेलन की विशेष बैठकें सम्मेलनों के बीच के अंतर-सत्रीय अवधि के दौरान बुलाई जा सकती हैं, यदि इस तरह की बैठक का अनुरोध किसी सदस्य देश द्वारा किया जाता है और दो-तिहाई सदस्य देश इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। तो विशेष बैठकें जिनेवा में सचिवालय में होती हैं; जब तक कि इससे संबंधित कोई अन्यि निर्णय नहीं लिया जाता है (कार्यविधि के नियम का नियम 14 देखें)।

2.3 एटीटी संस्थायएँ

2.3.1 सम्मेलन के अधिकारी

2.3.1.1 *अध्यक्ष*

शस्त्र व्याकपार संधि (एटीटी) के सदस्य देश हर साल सदस्यच देशों के सम्मेलन (सीएसपी) के दौरान तैयारी की प्रक्रिया सहित अगले साल की सीएसपी की अध्यक्षता करने के लिए, एक अध्यक्ष का चुनाव करती है।
निम्नलिखित व्यक्ति सीएसपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं:
- सीएसपी1: राजदूत जॉर्ज लोमोनैको, मेक्सिको
- सीएसपी2: राजदूत इमैनुएल ई. इमोहे, नाइजीरिया
- सीएसपी3: राजदूत क्लाउस कोरहोनेन, फिनलैंड
- सीएसपी4: राजदूत नोबुशिगे ताकमिज़ावा, जापान
- सीएसपी5: राजदूत जानिस कारक्लिजस, लातविया

2.3.1.2 उपाध्यक्ष

कार्यविधि के नियम 9 के अंतर्गत, सदस्य देशों के सम्मेलन के प्रत्येक सत्र के दौरान एटीटी सम्मेलन के अगले सत्र के लिए एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष भाग लेने वाले सदस्यो देशों के प्रतिनिधियों में से चुने जाते हैं।
अध्यक्ष और चार उपाध्यक्षों को अनौपचारिक रूप से 'ब्यूरो' के रूप में जाना जाता है। वे उस सम्मेलन के अंत में अपनी कार्यकाल की शुरुआत करते हैं, जिसमें उनका निर्वाचन होता है। वे सम्मेलन के अगले साधारण सत्र के अंत में अपने उत्तराधिकारियों के निर्वाचित होने तक अपनी सेवा देते रहते हैं। अध्यक्ष (उपाध्यक्षों के सहयोग से) अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सम्मेलन की किसी भी विशेष बैठक की अध्यक्षता करता है।

2.3.1.3 *सम्मेलन का सचिव*

कार्यविधि के नियमों के नियम 10 के अंतर्गत, एटीटी सचिवालय का प्रमुख सम्मेलन का सचिव होता है। वह सम्मेलन और इसकी सहायक संस्थाओं के सभी सत्रों में इस क्षमता के अनुसार कार्य करता है। सचिव की भूमिका सामान्य और विशेष सत्रों के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना है। संधि के अनुच्छेद 18 पैरा 3 (डी) के अनुसार, सचिव आम तौर पर सम्मेलन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करता है।
एटीटी सचिवालय की अन्य भूमिकाएँ और कार्य खंड 6.1.1 में वर्णित हैं।

2.3.2 सहायक संस्थामएँ

कार्यविधि के नियमों के नियम 42 में यह प्रावधान है कि संधि के अनुच्छेद 17 (4) के अनुसार सदस्यर देशों का सम्मेलन सहायक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। सम्मेलन अपने शासनादेश, अधिकारियों, रचना, आकार, अवधि और बजटीय मुद्दों सहित संधि के अंतर्गत स्थापित किसी भी सहायक संस्था द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों को निर्धारित करता है।

एटीटी की वर्तमान सहायक संस्थाएँ हैं:

- प्रबंधन समिति
- तीन कार्य समूह:
    - o प्रभावी संधि कार्यान्वयन के लिए कार्य समूह
    - o पारदर्शिता एंड रिपोर्टिंग के लिए कार्य समूह
    - o संधि सार्वभौमिकता के लिए कार्य समूह
- वीटीएफ चयन समिति

प्रत्येक संस्थाचओं की भूमिकाएँ और कार्य नीचे वर्णित हैं।

2.3.2.1 *प्रबंधन समिति*

एटीटी के लिए सदस्य देशों के पहले सम्मेलन ने संधि के अनुच्छेद 17 (4) और कार्यविधि नियमों के नियम 42 के अनुसार, एक सहायक संस्था के रूप में प्रबंधन समिति की स्थापना की थी। प्रबंधन समिति की भूमिका एटीटी सचिवालय से संबंधित वित्तीय व अन्य मामलों पर निगरानी रखने की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि इसमें अधिकतम जवाबदेही, दक्षता और पारदर्शिता, और सचिवालय के संचालन हो।

प्रबंधन समिति में सदस्य देशों के सम्मेलन का अध्यक्ष और प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह द्वारा नामित एक सदस्य देश का प्रतिनिधि होता है। एटीटी सचिवालय का एक प्रतिनिधि बैठकों में भागीदारी करता है। हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के रूप में प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सम्मेलन द्वारा, जब उचित हो, आमंत्रित किया जा सकता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों (अध्यक्ष और एटीटी सचिवालय के प्रतिनिधियों के अलावा) का कार्यकाल दो वर्ष का होता है और उनकी पात्रता एक और कार्यकाल के लिए होती है।

प्रबंधन समिति के संचालन प्रबंधन समिति के लिए संदर्भ-शर्तों (टर्म्सस ऑफ रेफरेंस) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2.3.2.2 *कार्य समूह*

2016 में सीएसपी2 द्वारा निम्नलिखित कार्य समूह स्थापित किए गए थे और 2017 में सीएसपी3 के एक निर्णय से ये स्थायी कार्य समूह बन गए:

- प्रभावी संधि कार्यान्वयन के लिए कार्य समूह (डब्ल्यूजीईटीआई)
- पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के लिए कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीआर)
- संधि सार्वभौमिकता के लिए कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीयू)

सम्मेलन का अध्यक्ष प्रत्येक कार्य समूह के लिए एक अध्यक्ष या सह अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, और प्रत्येक कार्य समूह का उद्देश्य - उनके संदर्भ - शर्तों के अनुसार - इस प्रकार है: डब्लूरजीईटीआई: राष्ट्रीय स्तर पर संधि के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए सूचना और चुनौतियों का आदान-प्रदान करता है; डब्ल्यूजीटीआर: सामान्य क्षेत्र में सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा परिभाषित कार्य करता है

जैसा कि इसका नाम संकेत देता है (यानी संधि के अंतर्गत पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के दायित्व संबंधी मुद्दे); डब्ल्यूजीटीयू: संधि के सार्वभौमीकरण पर विचार और कार्यान्वयन के उपाय बताता है और साझा करता है।

औसत रूप से, कार्य समूह की बैठक कुल तीन दिनों तक प्रति वर्ष दो बार होती है (सदस्य देशों के सम्मेलन के प्रत्येक सम्मेलन की अनौपचारिक तैयारी बैठकों के समय के साथ तालमेल करते हुए (खंड 2.2.1 देखें))। प्रत्येक कार्य समूह अपने कार्यों की प्रगति के बारे में सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेलन के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

2.3.2.3 *वॉलंटरी ट्रस्ट फंड (वीटीएफ) चयन समिति*

एटीटी के लिए सदस्य देशों के दूसरे सम्मेलन ने संधि के अनुच्छे द 17 (4) और कार्यविधि नियमों के नियम 42 के अनुसार, एक सहायक संस्था के रूप में वीटीएफ चयन समिति को नियुक्त किया। यह समिति प्रस्तावों के लिए वार्षिक आमंत्रण के बाद परियोजना प्रस्तावों के लिए उपलब्ध धनराशि आवंटन सहित वॉलंटरी ट्रस्ट फंड (वीटीएफ) के प्रशासन की देखरेख करेगी (खंड 6.2.1 देखें)।

चयन समिति में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होता है (और आगे के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं)। वीटीएफ चयन समिति का संचालन वीटीएफ की संदर्भ-शर्तों द्वारा होता है। वीटीएफ चयन समिति विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अपने सदस्यों में से एक को नियुक्त करती है। वीटीएफ चयन समिति के अध्यक्ष सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेललन को वीटीएफ के कार्य और स्थि ति के बारे में रिपोर्ट करते हैं।

3. एटीटी के दायित्व

3.1 संधि के अंतर्गत शस्त्र हस्तांतरण नियंत्रण दायित्व क्या हैं?

3.1.1 राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली

संधि के अनुच्छेद 5 में प्रदत्त उसके केंद्रीय दायित्वों में से एक दायित्व यह है कि इसके सदस्य देश निर्यात, आयात, पारगमन, और पारम्परिक हथियारों, गोला-बारूद/युद्ध सामग्री, और पुर्जों और घटकों के निर्यात का; और साथ ही संबंधित दलाली गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करेंगे और उसकी रखरखाव करेंगे।

अपनी राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में, प्रत्येक सदस्य देश को उन हथियारों और वस्तुओं की एक राष्ट्रीय नियंत्रण सूची बनाने की और उसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो इस नियंत्रण प्रणाली के दायरे में आती हैं। यानी हथियारों, गोला बारूद/युद्ध सामग्री, पुर्जों और घटकों और अन्य वस्तुीओं की सूची, जिनका हस्तांतरण देश द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे एटीटी सचिवालय को अपनी राष्ट्रीय नियंत्रण सूचियों की एक प्रति प्रदान करें। आवश्यकता होती है कि इसे अन्य सदस्य देशों के लिए उपलब्ध कराती है, और इन सदस्यि देशों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी राष्ट्रीय नियंत्रण सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएँ।

प्रभावी और पारदर्शी राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रत्येक सदस्य देश को एक या एक से अधिक सक्षम राष्ट्रीय अधिकारियों को नामित करना चाहिए, और संपर्क अधिकारी के रूप में काम करने के लिए और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर जानकारी साझा करने के लिए उनको एक या अधिक राष्ट्रीय संपर्क बिंदु बनाया जाना चाहिए।

प्रभावी संधि कार्यान्वयन के लिए गठित एटीटी कार्य समूह ने एक राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के निमित्त एक स्वैच्छिक बुनियादी मार्गदर्शिका विकसित की है। यह मार्गदर्शिका संधि संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के बारे में विस्तृत सुझाव प्रदान करती है।

सीएसपी4 के लिए अध्यक्ष की ड्राफ्ट रिपोर्ट का संलग्नक ए (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep), जिसका शीर्षक है: अनुच्छेद 5 के कार्यान्वयन में सदस्य देशों द्वारा विचार किये जाने वाले संभावित संदर्भ दस्तावेजों की सूची, देशों को उन जानकारियों के स्रोत के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिन जानकारियों के बारे में वे अनुच्छेद 5 को लागू करते वक्त परामर्श कर सकते हैं।

3.1.2 हस्तांतरण का विनियमन

3.1.2.1 *कुछ हस्तांतरणों का निषेध*

संधि के अनुच्छेद 2 (2) के अंतर्गत, 'हस्तांतरण' शब्द को निर्यात, आयात, पारगमन, ट्रांस-शिपमेंट और दलाली को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

संधि के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, राज्यों की पार्टियों को किसी भी हथियार, संबंधित गोला बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और घटकों के हस्तांतरण को अधिकृत करने से प्रतिबंधित किया गया है यदि:

- प्रस्तावित हस्तांतरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत लगाये गये हथियारों रोक का उल्लंघन करता हो;
- प्रस्तावित हस्तांतरण संधियों के अंतर्गत प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता हो, जिसके लिए एक देश एक पक्ष हो; या
- उस देश 'ने प्राधिकृत होने के समय स्वी कृति दी हो' कि हथियारों या वस्तुओं का उपयोग नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध या कुछ युद्ध अपराधों के लिए किया जाएगा।

यदि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत हस्तांतरण निषिद्ध नहीं है, तो प्रत्येक सदस्य देश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण को विनियमित किया गया है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

सीएसपी4 की अध्यक्षीय मसौदा रिपोर्ट(ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep) के लिए संलग्नक ई, जिसका शीर्षक '*अनुच्छेद 6 (1) के अंतर्गत दायित्वों को लागू करने में संभावित स्वैच्छिक मार्गदर्शक और सहायक तत्व*', अनुच्छेद 6 (1) का कार्यान्वयन के लिए सदस्यी देशों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

3.1.2.2 *निर्यात*

अनुच्छेद 7 के अंतर्गत, यदि हस्तांतरण में पारम्प,रिक हथियारों, संबंधित गोला-बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और घटकों का निर्यात शामिल है, तो निर्यात करने वाले देश को निर्यात किए जाने वाले हथियारों या वस्तुओं के जोखिम या क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता होती है जो शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिनका उपयोग निम्नलिखित के लिए हो सकता है:

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन;
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन;
- आतंकवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत आने वाले हमले करना; या
- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संचालन करना।

निर्यात करने वाले सदस्य देश को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे उपाय हैं जिनका उपयोग पहचाने जा चुके जोखिमों को कम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे निर्यात और आयात करने वाले सदस्य देशों द्वारा विश्वास पैदा करना या संयुक्त रूप से विकसित किए गए और सहमति वाले कार्यक्रम।

यदि निर्यात करने वाले देश का मूल्यांकन यह कहता है कि अनुच्छेद 7 (1) में सूचीबद्ध किसी भी नकारात्मक परिणामों में से किसी का भी 'बड़ा' जोखिम है, तो निर्यात करने वाले देश को प्राधिकार के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर देना चाहिए।
निर्यात करने वाले देश को पारम्परिक हथियारों, संबंधित गोला बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और घटकों के जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनका इस्तेमाल लिंग आधारित हिंसा या महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा के गंभीर कृत्यों को करने या सुगम बनाने के लिए किया जा रहा हो (देखें अनुच्छेद 7 (4)), और उस देश को निर्यात के पथांतरण के जोखिम का आकलन करना चाहिए (अनुच्छेद 11)।
सीएसपी4 के लिए अध्यक्ष की मसौदा रिपोर्ट का संलग्न बी (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/ Conf.Rep) जिसका शीर्षक 'अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन करने में देशों द्वारा विचार किए जाने वाले संभावित संदर्भ दस्तावेजों की सूची' है, उन सूचनाओं के स्रोतों के बारे में सदस्य देशों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिनके बारे में वे अनुच्छेद 7 को लागू करने के मामले में परामर्श कर सकते हैं।

3.1.2.3 *आयात*

अनुच्छेद 6 के अंतर्गत निषिद्ध होने वाले पारम्पंरिक हथियारों, संबंधित गोला-बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और घटकों के कुछ आयातों के अलावा (ऊपर खंड 3.1.2.1 देखें), हथियारों का आयात करने वाले प्रत्येक देश को 'ऐसे उपाय करने होंगे जो इसे विनियमित करने की अनुमति दें, जहां आवश्यक हो, पारम्प रिक हथियारों के अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयात करें'।
जबकि एटीटी राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में आयात को विनियमित करने के उपायों के बारे में कोई निर्देश नहीं देता, वे संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस या हथियार आयात करने की अनुमति, और/या उपयोगकर्ता और वितरण सत्यापन प्रमाण पत्र के रूप में प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता को शामिल कर सकते हैं।
यह संधि यह भी निर्धारित करती है कि आयात करने वाले देशों को यह सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे कि निर्यात करने वाले देश को जानकारी दी जा रही है, यदि उसे जोखिम मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाए, जिसका संचालन एक निर्यातक देश कर सकता है, और इस तरह के उपायों में अंतिम उपयोग या अंतिम छोर पर मौजूद उपयोगकर्ता का दस्ता वेजीकरण जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

3.1.2.4 *पारगमन और ट्रांस-शिपमेंट*

पारम्परिक हथियारों और ट्रांसशिपमेंट, संबंधित गोला बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वर्णित कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित घटकों के पारगमन के अलावा (ऊपर खंड 3.1.2.1 देखें), अनुच्छेद 9 के अनुसार सदस्य देशों को पारम्परिक हथियारों के पारगमन या ट्रांस-शिपमेंट को विनियमित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है जो 'जहां आवश्यक और संभव हो' और 'प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार' के न्यायक्षेत्र के अंतर्गत होगा।
जबकि एटीटी यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में पारगमन और ट्रांसशिपमेंट को विनियमित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने हैं, वे संबंधित प्राधिकरण से हथियारों के पारगमन या ट्रांसशिप के लिए लाइसेंस या परमिट के रूप में प्रधिकार प्राप्त करने की आवश्यधकता को शामिल कर सकते हैं, और/या यह आवश्यक बना सकते हैं कि परिवहन एजेंट पारगमन वाले देश को पूर्व सूचना दे कि हथियार उसके क्षेत्र से पारगमन करेंगे।

3.1.2.5 *दलाली*

पारम्परिक हथियारों और ट्रांसशिपमेंट, संबंधित गोला बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्जों और अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वर्णित कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित घटकों की दलाली के अलावा (ऊपर खंड 3.1.2.1 देखें), अनुच्छेद 10 के अंतर्गत देशों को पारम्परिक

हथियारों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली दलाली को विनियमित करने के लिए 'राष्ट्रीय कानून के अनुसार उपाय करने' की आवश्यकता होती है। यह संधि बताती है कि इस तरह के उपायों में दलाली में शामिल होने से पहले लिखित प्राधिकार को पंजीकृत करने या प्राप्त करने के लिए दलालों की आवश्यकता शामिल हो सकती है।

3.1.2.6 *पथांतरण*

एटीटी के अनुच्छेद 11 में पारम्परिक हथियारों के प्रसार को रोकने, संबोधित करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। निर्यातक सदस्य देशों को निर्यात के पथांतरण के जोखिम का आकलन करना चाहिए और इसको कम करने के उपायों की स्थापना पर विचार करना चाहिए, जैसे निर्यात और आयात करने वाले देशों द्वारा विश्वास-बहाली के उपायों या संयुक्त रूप से विकसित और सहमति वाले कार्यक्रम।

इसके अलावा, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, एक हस्तांतरण में शामिल प्रत्येक सदस्य देश के पास हस्तांतरित होने वाले हथियारों के पथांतरण को रोकने और उनको चिह्नित करने के दायित्व हैं। एटीटी को गोला-बारूद/युद्ध सामग्री, या पुर्ज़ों और घटकों के पथांतरण को रोकने और चिह्नित करने के लिए सदस्य देशों की आवश्यकता नहीं है; लेकिन सदस्य देश ऐसा करने का विकल्प चुन सकते हैं।

इस वास्तविकता को उजागर करते हुए कि पारम्प रिक हथियारों के पथांतरण को चिह्नित करने का कार्य ऐसा नहीं है जो देश अकेले कर सकते हैं। किसी हस्तांतरण में शामिल देशों के बीच सहयोग और जानकारी साझा करना इस प्रावधान के केंद्रीय तत्व हैं।

4. संधि के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्व क्या हैं?

4.1 प्रारंभिक रिपोर्ट

एटीटी के अनुच्छेद 13 (1) के अंतर्गत, सदस्य देशों को एटीटी सचिवालय को एक प्रारंभिक रिपोर्ट *देने* की आवश्यकता होती है जो सदस्य देश द्वारा संधि के लिए लागू किए गए उपायों का वर्णन करती है और जिसमें 'राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय नियंत्रण सूचियों तथा अन्य नियमों और प्रशासनिक उपाय शामिल होते हैं।' इस तरह के उपाय किए जाने पर, उनके लिए संधि को लागू करने के लिए उठाये गये नए उपायों के बारे में भी रिपोर्ट करना भी आवश्यक है।

प्रत्येक सदस्य देश को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 'उस सदस्य देश के लिए इस संधि के लागू होने के बाद पहले वर्ष के भीतर' प्रस्तुत करना आवश्यक है'। इसके अनुसार, सदस्य देश की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा, संधि के लागू होने की तारीख़ से बारह महीने बाद होती है।

सदस्य देशों को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए एक टेम्पपलेट विकसित किया गया है और प्रारंभिक रिपोर्ट एटीटी सचिवालय को ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती हैं।

4.2 वार्षिक रिपोर्ट

एटीटी के अनुच्छेद 13 (3) के अंतर्गत, सदस्यत देशों को वार्षिक आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें 'अनुच्छेद 2 (1) के अंतर्गत शामिल किये गये पारम्पकरिक हथियारों के अधिकृत या वास्तविक निर्यात और आयात से संबंधित जानकारी होती है', और जो बीते कैलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान तैयार किए गए होते हैं।

इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा उस तारीख़ के बारह महीने बाद की होती है। एटीटी सचिवालय में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा प्रत्येक वर्ष की 31 मई है। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 के बीच के निर्यात और आयात को शामिल करने वाली वार्षिक रिपोर्ट 2018 को प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 मई 2019 है।

सदस्य देशों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सहायता के लिए एक टेम्पलेट विकसित किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट एटीटी सचिवालय को ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती हैं।

4.3 पथांतरण की रिपोर्ट

अनुच्छेद 11 (6) और 13 (2) के अंतर्गत, सदस्य देशों को हस्तांतरित हथियारों के पथांतरण को चिह्नित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में पथांतरण को चिह्नित करने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्टिंग के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं है (उदाहरण के लिए, इस तरह की रिपोर्टों के लिए कोई रिपोर्टिंग टेम्प्लेट नहीं है) और सदस्य देशों जो भी प्रारूप चुनते हैं, उसमें ही पथांतरण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, और एटीटी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना विनिमय प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, और जानकारी का आदान-प्रदान करने और पथांतरण का अनुभव साझा करने की सुविधा दी जाती है।

5. संधि के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध है?

5.1 सदस्य देश

सदस्य देश मूल्यांकित योगदान देते हैं, जिनमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल होते हैं:

1. *सीएसपी और इसके द्वारा स्था पित होने वाली किसी भी सहायक संस्था के लिए योगदान*: बैठकों और सदस्य देशों के सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति हो या न हो, सभी सदस्य देशों के द्वारा प्रत्येक सम्मेलन, या इसके द्वारा स्थापित होने वाली किसी भी सहायक संस्था के लिए प्रदत्त योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। इस सम्मेलन, या सहायक संस्थां की बैठक जैसा कि लागू हो, की तैयारी या आयोजन की लागत शामिल है (एटीटी वित्तीय नियमों का नियम 5.1 देखें)।
2. *सचिवालय के लिए योगदान*: प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में, सदस्य देशों से एटीटी सचिवालय की लागत के लिए एक मूल्यां कित योगदान लिया जाता है, जिससे सचिवालय के मुख्य कार्य पूरे किये जाते हैं। इन कार्यों में शामिल है: कर्मचारी वेतन, उपकरण, कार्यालय के ऊपरी खर्च, वित्तीय प्रशासन, मानव संसाधन प्रशासन, बीमा, संचार और आईटी; और कोई भी अन्य मदद जो सम्मेलन द्वारा निर्धारित, सचिवालय के कामकाज के लिए आवश्यक है (एटीटी वित्तीय नियमों का नियम 6.3 देखें)।

5.2 हस्ताक्षरकर्ता देश और पर्यवेक्षक देश

सदस्य देशों के प्रत्येक सम्मेलन, या इसके द्वारा स्थापित होने वाली किसी भी सहायक संस्था में उपस्थित हस्ताक्षरकर्ता देशों और अन्य पर्यवेक्षक देशों पर सम्मेलन, या सहायक संस्था की तैयारी और आयोजन की लागत के लिए, जैसाकि लागू हो, उपस्थिति शुल्क लगाया जाता है।

सम्मेलन की अनुमानित लागत के लिए जारी किए गए चालान की गणना इस धारणा पर की जाएगी कि सभी हस्ताक्षरकर्ता देश और अन्य पर्यवेक्षक देश जो सम्मेलन में पिछले वर्ष में शामिल हुए थे, आने वाले अगले सम्मेलन में भाग लेंगे।

6. एटीटी कार्यान्वयन के लिए सहायता और समर्थन

6.1 एटीटी सचिवालय

6.1.1 एटीटी सचिवालय की भूमिका क्या है?

एटीटी सचिवालय की स्थापना संधि के अनुच्छेद 18 के अनुसार की गई थी। इसका उद्देश्य एटीटी के प्रभावी कार्यान्वयन में सदस्य देशों का समर्थन करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए की गई थी।

एटीटी सचिवालय संधि के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करता है; राष्ट्रीय संपर्क बिंदुओं का एक डेटाबेस रखता है; संधि के कार्यान्वयन के लिए सहायता के प्रस्तावों और अनुरोधों के मिलान करता है; सदस्य देशों के सम्मेलन के कार्य को सुगम बनाता है; और सदस्या देशों के सम्मेलन द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन करता है। प्रत्येक सीएसपी के पहले इसकी तैयारी के दौरान, सदस्य देशों के सम्मेलन के कार्य को सुगम बनाने में सीएसपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधन समिति और सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा स्थापित कार्य समूहों के सह-अध्यक्षों का समर्थन करना शामिल है।

संधि के अनुच्छेद 18 (3) में व्यक्त अपनी पारम्परिक जिम्मेदारियों के अलावा, एटीटी सचिवालय वीटीएफ चयन समिति (खंड 2.3.2.3 और 6.2.1 देखें) के समर्थन के साथ-साथ वॉलंटरी ट्रस्ट फंड और एटीटी प्रायोजन कार्यक्रम का भी प्रबंधन करता है।

6.1.2 एटीटी सचिवालय से कैसे संपर्क करें

पता: 7 बिस एवेन्यू डे ला पैक्स, डब्लूएमओ बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, 1211 जिनेवा

फोन: +41 (0)22 715 04 20

ईमेल: info@thearmstradetreaty.org

वेब: www.thearmstradetreaty.org

6.2 कैसी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?

6.2.1 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड

शस्त्र व्यापार संधि (एटीटी) का अनुच्छेद 16 (3) संधि के राष्ट्रीय कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक वॉलंटरी ट्रस्ट फंड (वीटीएफ) की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है और सभी देशों को फंड में संसाधनों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वीटीएफ को औपचारिक रूप से अगस्त 2016 में सदस्य देशों के दूसरे सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। यह फंड सम्मेलन की अनुमोदित संदर्भ-शर्तों के अंतर्गत संचालित किया जाता है। वीटीएफ अपने संदर्भ-शर्तों और प्रशासनिक नियमों के अनुसार एटीटी कार्यान्वयन परियोजनाओं के लिए फंड वितरित करता है।

वीटीएफ का प्रशासन एटीटी सचिवालय द्वारा वीटीएफ चयन समिति (खंड 2.3.2.3 देखें) के समर्थन से किया जाता है। एटीटी कार्यान्वयन परियोजनाओं के लिए 100,000 अमरीकी डालर तक के अनुदान हेतु आवेदन स्वी कार किया जाता है जिसके लिए सालाना प्रस्ताव जारी कर देशों को आमंत्रित किया जाता है। फंड के लिए आवेदन केवल सदस्य देश ही कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html को देखें।

6.2.2 स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम

एटीटी सचिवालय एक स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम का संचालन करता है जो एटीटी बैठकों में देशों की भागीदारी को सुगम बनाता है। एटीटी स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बैठकों के दौरान प्रतिनिधि और सहभागी विमर्श को सुनिश्चित करने के लिए और अंत में, संधि के कार्यान्वयन और सार्वभौमीकरण में योगदान करने के लिए एटीटी बैठकों में भागीदारी को बढ़ाना और अधिक से अधिक विविधता लाना है। एटीटी सचिवालय प्रत्येक एटीटी बैठक से पहले, जहाँ स्पॉन्सरशिप फंड उपलब्ध है, एटीटी की डाक सूची (मेलिंग लिस्टऔ) में मौजूद सभी व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए संदेश भेजकर और एटीटी वेबसाइट पर इस जानकारी को पोस्ट करके आमंत्रित किया जाता है।

6.2.3 यूएनएससीएआर

यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फैसिलिटी सपोर्टिंग कोऑपरेशन ऑन आर्म्स रेगुलेशन (उन्सककार) (यूएनएससीएआर), एक लचीला बहु-दाता, संयुक्त राष्ट्र-प्रबंधित फंड है, जो एटीटी सहित हथियारों के विनियमन पर प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के अनुसमर्थन/परिग्रहण और कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

उन्सकार (यूएनएससीएआर) प्रस्तावों के लिए एक वार्षिक संदेश जारी करता है और संयुक्त राष्ट्र के भागीदारों, अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों द्वारा आवेदन करने के लिए खुला है। सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सरकारों को एक योग्य आवेदक के साथ काम करना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, https://www.un.org/disarmament/unscar/ को देखें।

6.2.4 ईयू एटीटी पहुँच परियोजना

यूरोपीय संघ ने एटीटी के कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना और प्रतिबद्ध निधि की स्थापना की है जिसे 'ईयू एटीटी पहुँच परियोजना' के रूप में जाना जाता है। परियोजना में विभिन्न घटक अपरिहार्य रूप से शामिल हैं:

- विशेष रूप से तैयार की गई राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम जो अनेक राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्राथमिकताओं को विशेषतः तैयार सहायता गतिविधियों के माध्यम से पूरा करने में एक दीर्घकालिक साझेदारी प्रदान कर सकते हैं।
- समर्थन हेतु व्यक्तिगत अनुरोधों के प्रति लचीली और त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देने के लिए तदर्थ गतिविधियां।
- सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल साझा करने के निमित्र एक मंच प्रदान करने वाले क्षेत्रीय सेमिनार इस कार्य में सिविल सोसाइटी के कारकों को शामिल करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

यह सहायता सदस्य देशों द्वारा सीधे परियोजना किए गए अनुरोध पर प्रदान की जाती है।

अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है: https://export-control.jrc.ec.europa.eu/projects/Arms-Trade-Treaty

6.2.5 द्वि-पक्षीय सहायता

कई दाता देश एटीटी कार्यान्वयन के लिए द्वि-पक्षीय आधार पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के इच्छुक देशों को सीधे दाता देशों से संपर्क करना चाहिए।

6.3 क्या तकनीकी सहायता उपलब्ध है?

संधि के कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी पहलुओं के संबंध में देश, संधि के मौजूदा सदस्य देशों से सहायता ले सकते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन और थिंक टैंक भी हैं जो एटीटी कार्यान्वयन पर लगे हुए हैं और एटीटी कार्यान्वयन के कई तकनीकी पहलुओं के बारे में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस तरह के संस्थाओं से कौन और कैसे संपर्क कर सकता है, एटीटी सचिवालय इसके बारे में सलाह दे सकता है।

इसके अलावा, कई व्यावहारिक गाइड, शोध पत्र और अन्य उपकरण एटीटी कार्य समूहों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और थिंक टैंकों द्वारा विकसित किए गए हैं जो संधि को लागू करने के तरीके पर तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

[बैककवर]

संधि कार्यान्वयन पर संसाधनों, उपकरणों और दिशानिर्देशों सहित आगे की जानकारी एटीटी वेबसाइट (https://www.thearmstradetreaty.org/) पर उपलब्ध है या एटीटी सचिवालय (info@thearmstradetreaty.org) से प्राप्त की जा सकती है।